

प्रेस विज्ञप्ति

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त के विरुद्ध की गई जिलाबदर की कार्यवाही:—

अवगत कराना हैं, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा निम्न अभियुक्त को धारा 3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्त का विवरण निम्नवत् हैं:—

क्र० सं०	अभियुक्त का नाम व पता
1	फैजान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना, सहारनपुर।